UPKU010042402026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।
उपस्थितः संजीव कुमार त्यागी, एच.जे.एस., Id. No. UP2018
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 1238/2026

1– प्रिंस बउम्र 28 वर्ष पुत्र गंगा,
2– हीरा उर्फ हीरालाल बउम्र 49 वर्ष पुत्र सीरी,
3– विन्द्रावती देवी बउम्र 39 वर्ष पत्नी गंगा,
4– गुंजा बउम्र 24 वर्ष पत्नी रवि,
साकिनान– लक्ष्मीपुर पड़रहवा, थाना– खड्डा, जिला–कुशीनगर।

.....अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। .....विरूद्ध पक्ष

मु०अ०सं०– 105/2026
धारा–351(3), 352, 74, 296, 126 B.N.S.
थाना– खड्डा,
जिला–कुशीनगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

1–यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण प्रिंस, हीरा उर्फ हीरालाल, विन्द्रावती देवी व गुंजा द्वारा इस याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में उन्हे अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

2–अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती विन्दा देवी द्वारा धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र न्यायालय– सिविल जज (जू०डि०)/एफ.टी.सी./न्यायिक मजिस्ट्रेट कुशीनगर स्थान पडरौना के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसकी लड़की बबिता सरस्वती महाविद्यालय खड्डा में बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में पढ़ती है। दिनांक 11–12–2025 को दिन में 9 बजे वह अपने विद्यालय में पढ़ने जा रही थी कि रास्ते में ही गांव के प्रिन्स उसे रोंककर अश्लील हरकत करते हुए छेड़खानी करने लगा तब तक रास्ते से जा रहे कई लोगों ने देखा तथा बीच बचाव किया। वह विद्यालय से अपने घर आई तो घटना के बारे में बताई तो वह प्रिन्स के घर जाकर शिकायत की तो प्रिन्स के परिवार के लोग हीरा, विन्द्रावती व गुन्जा उसे गाली देते हुए जान माल की धमकी दिए। उसने घटना की सूचना थाना खड्डा पर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नही हुई तो जरिये रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को

सूचना दी। वहां से भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वह न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की।

3– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पांच माह विलम्ब से दर्ज कराई गई है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना झूँठी, फर्जी व मनगढ़न्त है। वास्तविकता यह है कि उभय पक्ष पड़ोसी/पट्टीदार हैं। उभय पक्ष के मध्य माह दिसम्बर 2025 में कहा सुनी हुई थी। दोनो पक्षों ने थाने पर सूचना दिया जिस पर थाने में ही समझौता हो गया था क्योंकि उभय पक्ष कोई कार्यवाही नहीं चाहते थे। परन्तु बाद में वादिनी द्वारा मामले को बढ़ा चढ़ाकर धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। मामले में सात वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अभियुक्तगण जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार हैं। अपराध मजिसट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा बहस में कहा गया है कि अभियुक्त प्रिंस द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़छांड़ की गई और जब वादिनी ने इसकी शिकायत किया तो सभी अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

5– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप है कि अभियुक्त प्रिंस द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ छेड़छांड़ की गई और जब वादिनी ने इसकी शिकायत किया तो सभी अभियुक्तगण द्वारा मिलकर उसे गाली गुप्ता व जान माल की धमकी दी गई। उभय पक्ष आपस में पट्टीदार है। उनके मध्य पूर्व में कहा सुनी हुई थी जिसके संबंध में उनके मध्य सुलह समझौता हुआ था। सुलहनामा पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमे उभय पक्ष के हस्ताक्षर हैं। केस डायरी पर पीड़िता का धारा 183 बी.एन.एस.एस. का बयान उपलब्ध नहीं है। मामले में सात वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान नहीं है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः उक्त कारणों के मद्देनजर अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण प्रिंस, हीरा उर्फ हीरालाल, विन्द्रावती देवी व गुंजा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता हैः–

1– अभियुक्तगण आरोप पत्र दाखिल होने की स्थिति में आरोप व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

2– अभियुक्तगण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी

व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देंगें, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या विवेचक के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3– अभियुक्तगण संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगें।

4– अभियुक्तगण प्रत्येक एक माह के अन्दर मु०–1,00,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करेंगें। उक्त शर्त का अनुपालन न करने पर आवेदक की अग्रिम जमानत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

यदि अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व पुलिस द्वारा वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–1,00,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाय।

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर स्थान पडरौना

दिनांकः– 10–07–2026
R.P.Shukla

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.07.10 16:06:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court